

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)



ccfkanker3@gmail.com



(07868) 222014



(07868) 222472

क्रमांक/मा.चि./न.क्र.78/2020/2709

कांकेर, दिनांक/06/05/2020

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी

पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल

भानुप्रतापपुर

विषय:-

Diversion of Forest land for non-forest Purpose under Forest Conservation Act 1980 Proposed for the Approach Road from Mines to Pubilc Road Covers an area of 0.95 ha. and the Power lines Covers an area of 1.62 ha. The Forest land in required for approach Road and drawing overhead power line to our Mines Total area 2.58 ha. regarding.

Registration No. FP/CG/Approach/32947/2018

संदर्भ:-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग.नवा रायपुर अटल नगर क्रमांक/भू-प्रबंध/खनिज/331-254/839 दिनांक 05.05.2020

—[]—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है का अवलोकन करें। प्रकरण में आवेदनकर्ता श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड रायपुर द्वारा जिला उत्तर बस्तर कांकेर जिले के पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत आरक्षित/संरक्षित वन भूमि में रकबा 2.58 हे.में पहुँच मार्ग एवं विद्युत लाईन विस्तार हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./न.क्र.78/2020/748 दिनांक 08.04.2020 द्वारा मुख्यालय को प्रेषित किया गया था। उक्त प्रस्ताव का मुख्यालय द्वारा परीक्षण किया गया, जिसमें निम्ननुसार कमियाँ पाई गई है :-

1. वन अधिकार संबंधी कलेक्टर कांकेर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 24.01.2020 लीनियर परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के पत्र दिनांक 05.07.2013 द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं है। अतः निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र दिया जावे।
2. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की जो के.एम.एल. फाईल वेब पर अपलोड की गई है, उसमें पॉलीगन दर्शित नहीं हो रहा है तथा पॉलीगन के एट्रीब्यूट में क्षेत्रफल 6.229 हे. दिख रहा है जबकि विवरण में 5.16 दिखाया गया है। अतः क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण संबंधी स्थल की के.एम.एल. फाईल तथा वनमंडलाधिकारी द्वारा जारी की गई स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण संबंधी वृक्षारोपण योजना वेब पर अपलोड की जावे।
3. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की सत्यापित डी.जी.पी.एस.सर्वे रिपोर्ट वेब पर अपलोड करें।

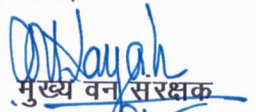
अतः उपरोक्त बिन्दुओं की पूर्ति कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

पृ.क्रमांक/मा.चि./न.क्र.78/2020/2710

कांकेर, दिनांक/06/05/2020

प्रतिलिपि :- निदेशक, श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम-बोरझारा, उरला-गुमा रोड़, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया उक्त प्रकरण में वरिष्ठ कार्यालय द्वारा उठाये गये 3 बिन्दुओं की आपत्तियों का पूर्ति कर प्रतिवेदन वनमंडलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर के माध्यम से इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


मुख्य वन संरक्षक

कांकेर वृत्त, कांकेर


मुख्य वन संरक्षक

कांकेर वृत्त, कांकेर



Received Email- 05/05/2020

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर- 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-254/839

रायपुर, दिनांक 05/05/2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
कांकेर वृत्त, कांकेर
छत्तीसगढ़

- विषय:** - Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for the Approach Road from mines to Public Road covers an area of 0.95 ha. and the Power Line covers an area of 1.62 ha. The Forest land is required for approach road and drawing overhead Power Line to our Mines, total area - 2.58 ha. regarding
- संदर्भ:** - मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर का पत्र क्रमांक/मा. चि./न. क्र.-78/ 2020/ 748 दिनांक 08.04.2020

-00-

विषयान्तर्गत संदर्भ पत्र के माध्यम से (आवेदनकर्ता मेसर्स बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड रायपुर द्वारा जिला उत्तर बस्तर कांकेर जिले के पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल अंतर्गत आरक्षित / संरक्षित वन भूमि में रकबा 2.58 हे. में पहुंच मार्ग निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव) कार्यालयीन पत्र दिनांक 28.08.2019 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के विषयांकित प्रस्ताव में पायी गई कमियों का निराकरण प्रेषित किया गया है। निराकरण पत्र का अवलोकन करने के पश्चात निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं:-

1. वन अधिकार संबंधी कलेक्टर कांकेर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 24.01.2020 लीनियर परियोजनाओं के लिये भारत सरकार के पत्र दिनांक 05.07.2013 के द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं है। अतः निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र दिया जावे।
2. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की जो के.एम.एल फाईल वेब पर अपलोड की गई है उसमें पालीगन दर्शित नहीं हो रहा है तथा पालीगन के एट्रीब्यूट में क्षेत्रफल 6.229 हे. दिख रहा है जबकि विवरण में 5.16 हे. दिखाया गया है। अतः क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण संबंधी स्थल की के.एम.एल फाईल तथा वन मंडलाधिकारी द्वारा जारी की गई स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण संबंधी वृक्षारोपण योजना वेब पर अपलोड की जावे।
3. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की सत्यापित डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट वेब पर अपलोड करें।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./ भू-प्रबंध/खनिज/331-254/840

रायपुर, दिनांक 05/05/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- वन मंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल, छत्तीसगढ़।
- **Director, Shri Bajrang Power and Ispat Limited, Village Borjhara, Urla-Guma Road, Raipur.**

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़